

राजस्थान सरकार  
शिक्षा (गुण-4) विभाग

संख्यांक प. 11 (3) शिक्षा-4/2009पार्ट

दिनांक: 31 मार्च 2019

आदेश

शिक्षा-प्रशिक्षण महाविद्यालयों के लिए सत्र 2018-20 के लिए शुल्क

राज्य के गैर-अनुदानित शिक्षा-प्रशिक्षण संस्थानों के 2018-19 के वार्षिक शुल्क के संबंध में जारी  
विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 22 मार्च 2018, अग्रादमिक सत्र 2019-20 के लिए भी लागू होगा।

JD(PF)

296

31/3/19

(डॉ० राजेन्द्र जोशी)

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिनिधि सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु :-

1. विशेष सचिव, माननीय उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
4. अध्यक्ष, नेशनल काउन्सिल फॉर टीचर एज्युकेशन (एनसीटीई), हंस भवन, विंग-11, बहादुर शाह जंक्शन मार्ग, नई दिल्ली 110002।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, प्राथमिक शिक्षा, जयपुर।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
8. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर क्षेत्रीय समिति, नेशनल काउन्सिल फॉर टीचर एज्युकेशन (एनआरसी-एनसीटीई), G-7, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली 110075।
10. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
11. संयुक्त सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
12. कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
13. कुलसचिव, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
14. कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
15. कुलसचिव, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
16. कुलसचिव, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
17. कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
18. कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
19. कुलसचिव, पं. दीनदयाल उपाध्याय शाखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
20. कुलसचिव, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।

आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

संख्यांक 224 (Fec) B.Ed/आडाजी/2019/255 दिनांक: 03.6.2019

प्रधानी लेखनाईट, बालुवाला पब्लिकेशन सेवा, राज. जयपुर।

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

31/3/19

31/3/19

Certified True Copy  
Registrar  
Jagan Nath University, Jaipur

Registrar  
Jagan Nath University  
Jaipur

Scanned by CamScanner



(2)

SA 1226  
19/1/18  
22/3/18

राजस्थान सरकार  
शिक्षा(गुप-4) विभाग

दिनांक: 22 मार्च, 2018

क्रमांक: प. 11 (3) शिक्षा-4/2009पाठ

आदेश

शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों के लिए सत्र 2018-19 के लिए शुल्क

नेशनल काउन्सिल फॉर टीचर एज्युकेशन के रेगुलेशन के अनुसार गठित राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति की अनुशंसा पर राज्य के गैर-अनुदानित शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों के लिए सत्र 2018-19 के लिए निम्नानुसार वार्षिक शुल्क निर्धारित किया गया है-

(राशि रुपयों में)

क्र.सं.	मद	बी.एड./ शिक्षाशास्त्री	एम.एड./ शिक्षा-आचार्य	बी.पी.एड./ एम. पी.एड.	बी.ए.-बी.एड./ बी.एड.- एम.एड. बी.एस.सी.-बी. एड.
1.	शिक्षण शुल्क	17880.00	17880.00	17880.00	17880.00
2.	विविध शुल्क	4440.00	4440.00	4440.00	4440.00
3.	कम्प्यूटर शुल्क*	960.00	-	-	960.00
4.	अन्य गतिविधियां*	3600.00	-	-	3600.00
	योग	26880.00	22320.00	22320.00	26880.00

\*क्र.सं. 3 व 4 पर वर्णित शुल्क बी.पी.एड. व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होगा।

उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या 2 में वर्णित विविध-शुल्क का मंदवार विवरण निम्नानुसार होगा:-

क्र.सं.	मद	बी.एड./ शिक्षाशास्त्री	एम.एड./ शिक्षा-आचार्य	बी.पी.एड./ एम.पी.एड.	बी.ए.-बी.एड./ बी.एस.सी.-बी.एड./ बी.एड.- एम.एड.
(A)	कार्यालय व्यय				
1.	प्रवेश शुल्क *	36	36	36	36
2.	कॉशन भती *	180	180	180	180
3.	प्रमाण-पत्र	24	24	24	24
4.	विकास शुल्क	840	840	840	840
5.	बिजली-पानी	840	840	840	840
6.	परीक्षा	300	300	300	300
7.	विविध	60	60	60	60
	योग (A)	2280	2280	2280	2280

Verified True Copy  
Registrar  
Jagan Nath University, Jaipur

Registrar  
Jagan Nath University  
Jaipur




(B) छात्र कोष					
1.	खतफूद	180	180	180	180
2.	पुरतकालय	540	540	540	540
3.	कला, संगीत एवं संस्कृति	180	180	180	180
4.	मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला	180	180	180	180
5.	शैक्षिक तकनीकी	360	360	360	360
6.	कार्यशाला/कार्यानुभव	360	360	360	360
7.	विज्ञान शुल्क	180	180	180	180
8.	आकस्मिक व्यय	180	180	180	180
	योग (B)	2160	2160	2160	2160
	महायोग (A+B)	4440.00	4440.00	4440.00	4440.00

(\* कार्यालय व्यय के क्र.सं. 1 व 2 पर वर्णित मद को शुल्क किसी भी पाठ्यक्रम में सिर्फ प्रवेश के प्रथम वर्ष में ही देय होगा )

उपरोक्त शुल्क वार्षिक रूप से देय होगा। पूर्व के वर्षों में प्रवेश ले चुके विद्यार्थियों को सत्र 2018-19/आगामी सत्रों के लिए संगत आदेश के अनुसार ही वार्षिक शुल्क, प्रवेश शुल्क व कॉशन मनी मद की राशि को छोड़कर, शेष शुल्क संबन्धित महाविद्यालय/संस्था में जमा करवाना होगा। उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त वरिष्ठ विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के प्रीमियम की राशि पृथक से देय होगी।

शुल्क की राशि जमा करने हेतु प्रवेश सामन्वयक व महाविद्यालय/संस्थाएं राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार आवेदकों/विद्यार्थियों को आवश्यक रूप से कसलेस विकल्प उपलब्ध करवाए।

  
(डॉ० रामेश्वर जोशी)  
संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
4. अध्यक्ष, एनसीटीई, नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, प्राथमिक शिक्षा, जयपुर।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
8. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. क्षेत्रीय निदेशक, एनसीटीई (एनआइसी) जीमनरिफ्रि-11, एलआइसी भवन, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर।
10. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
11. कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
12. कुलसचिव, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।


  
Registrar  
Jagan Nath University, Jaipur

  
Registrar  
Jagan Nath University  
Jaipur



13. कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
14. कुलसचिव, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
15. कुलसचिव, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
16. कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
17. कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
18. कुलसचिव, पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
19. कुलसचिव, महाराजा सूरजमल गुज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
20. कुलसचिव, राजर्षि भर्तृहरि मृत्यु विश्वविद्यालय, अत्तर।
21. कुलसचिव, जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर।
22. कुलसचिव, ..... निजी विश्वविद्यालय, .....
23. कुलसचिव, ..... डीम्ब विश्वविद्यालय, .....
24. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
25. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
26. संयुक्त निदेशक, निजी संस्था, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
27. मुख्य लेखाधिकारी एवं प्रभारी छात्रवृत्ति, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
28. वरिष्ठ लेखाधिकारी, (शिक्षा ग्रुप-5) विभाग, सचिवालय।
29. समन्वयक, पीटीईटी परीक्षा 2018, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर।
30. समन्वयक, एमपीईटी परीक्षा 2018, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
31. समन्वयक, प्री-बी.पी.एड. व प्री-एग.पी.एड. परीक्षा 2018, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
32. समन्वयक, पीएसएसटी परीक्षा 2018, जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर।
33. प्रभारी वेबसाइट, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर-वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(नोट-प्रवेश परीक्षाओं की समन्वयक संस्थाओं को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की प्रति वेबसाइट पर अपलोड करवाये तथा एनपीटीई के विनियम 2002 व संशोधन 2010 के बिन्दु संख्या 9(1) (iv) के अनुसार सत्र 2018-19 के लिए निर्धारित शुल्क के मन्तव्य का समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाये)

  
संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा


क्रमांक F24(Fee)बी.ए. आवासी/2018/206

दिनांक 23.03.2018

प्रभारी वेबसाइट आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर  
इसका विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावे।

Certified True Copy  
Registrar  
Jagan Nath University, Jaipur

23.3.18  
संयुक्त निदेशक (निजी संस्थान)  
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा  
राज, जयपुर

  
Registrar  
Jagan Nath University  
Jaipur



Received  
25/10/21



कार्यालय समन्वयक PTEET-2021  
राजकीय डूंगर महाविद्यालय, जयपुर रोड, बीकानेर (राज.)  
दूरभाष- 0151-2528035 Email : gpspteet2021@gmail.com



**बी.एड (दो वर्षीय पाठ्यक्रम) में काउंसलिंग हेतु प्रक्रिया**

1. पीटीईटी-2021 बीएड दो वर्षीय प्रवेश परीक्षा का परीक्षा परिणाम दिनांक 20.09.2021 को अधिकृत वेबसाइट [www.ptetra2021.com](http://www.ptetra2021.com) एवं [www.ptetra2021.org](http://www.ptetra2021.org) पर जारी कर दिया था। परीक्षा की अंकात्मिका में अग्रणी की श्रेणी इत्यादि का अंकन किया गया है। अग्रणी जांच ले कि उसके डाटा सही है अथवा नहीं। यदि सही नहीं है तो काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व ऑनलाइन विधि से अपना डाटा सही करवा ले। काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात् अग्रणी के डाटा में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जायेगा।
2. पीटीईटी-2021 बीएड दो वर्षीय प्रवेश परीक्षा में प्रविष्ट राशि अग्रर्थियों का बिना किसी कट ऑफ के परिणाम जारी किया गया है। पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाला प्रत्येक अग्रर्थी चाहे इस टेस्ट में उसने कितने ही अंक प्राप्त किये हैं, रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवा कर काउंसलिंग में भाग ले सकता है। यही यह स्पष्ट किया जाता है कि अग्रर्थियों के प्रवेश हेतु उनके द्वारा दिये गये विकल्पों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अग्रणी की सहाय, श्रेणी एवं उप श्रेणी, परीक्षा में प्राप्तांक, आदि के अनुसार उपलब्ध सीटों पर गैरिट के आधार पर महाविद्यालय आवंटन होगा। अग्रर्थी पाठ्यक्रम में अपने प्रवेश के अवसर को अधिक सुरक्षित करने की दृष्टि से महाविद्यालय चयन हेतु दिये जाने वाले विकल्प (choices) में अधिकतम विकल्प दें। अग्रर्थी सभी उपलब्ध महाविद्यालयों का विकल्प के रूप में चयन कर सकता है। महाविद्यालय विकल्प देने की कोई सीमा नहीं है। अग्रर्थियों को महाविद्यालय चयन हेतु ऑप्शन भरने के लिए निर्धारित तिथि के पश्चात् अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा। बीएड दो वर्षीय में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग द्वारा महाविद्यालय चयन/आवंटन एवं अन्य प्रक्रियाओं का कार्यक्रम निम्न प्रकार होगा:-

विवरण	दिनांक
अग्रर्थियों द्वारा अपनी पूर्व में अपलोड की गई प्रोफाइल में ऑनलाइन संशोधन पीटीईटी की अधिकृत वेबसाइट <a href="http://www.ptetra2021.com">www.ptetra2021.com</a> पर	17.10.2021 तक
ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन करवाकर शुल्क रु 5000/- ऑनलाइन अथवा बैंक में चलान द्वारा जमा करवाना	14.10.2021 से 25.10.2021
महाविद्यालय चयन हेतु ऑनलाइन विकल्प भरना (शुल्क रु 5000/- जमा के पश्चात्)	21.10.2021 से 31.10.2021
प्रथम काउंसलिंग पश्चात् आवंटित महाविद्यालय की सूचना	03.11.2021
प्रवेश हेतु शेष शुल्क रु. 22000/- रात्र (2021-22) ऑनलाइन अथवा बैंक में जमा करवाना	03.11.2021 से 10.11.2021
प्रथम काउंसलिंग पश्चात् आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग (ऑनलाइन)	03.11.2021 से 11.11.2021
अपवर्ड मूवमेंट हेतु ऑनलाइन आवेदन (महाविद्यालय में ऑनलाइन रिपोर्टिंग के पश्चात्)	04.11.2021 से 12.11.2021
अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात् महाविद्यालय आवंटन एवं गैर आवंटित अग्रर्थियों को महाविद्यालय आवंटन की सूचना	15.11.2021
अपवर्ड मूवमेंट पश्चात् आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग (ऑनलाइन)	15.11.2021 से 20.11.2021

3. ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के प्रथम चरण में अग्रर्थी को ई-गिज, ऑनलाइन माध्यम से काउंसलिंग आई. डी. इत्यादि का उपयोग करते हुए 6000/- रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवाना होगा। काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व अग्रर्थी अपने मूल पीटीईटी-2021 परीक्षा आवेदन पत्र में दर्शाए गये कैटेगरी (GEN, SC, ST, OBC, SBC, MBC, EWS etc.) तथा राय कैटेगरी (Divorce/PH/Defence etc.) की जांच कर ले तथा अपने पास सम्बन्धित मूल दस्तावेज उपलब्ध हो, इत्यादी भी जांच कर लें। 01 अक्टूबर 2020 के बाद का जारी OBC प्रमाण पत्र मान्य है और 01 अक्टूबर 2018 से 30 सितम्बर 2020 के मध्य जारी OBC प्रमाण पत्र हेतु अग्रर्थियों से स्वयं के हस्ताक्षर सहित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रतलम शपथ पत्र/वधान परिषद-रूप अपलोड करवाना है। दिनांक 01 अक्टूबर 2018 से पूर्व का ओ.बी.सी.प्रमाण पत्र मान्य नहीं है।
4. शिक्षा महाविद्यालयों के चयन हेतु पीटीईटी-2021 की अधिकृत वेबसाइट पर स्थित महाविद्यालयों की सूची में नाम, पता इत्यादि स्पष्ट कर लें एवं इन महाविद्यालयों के बारे में सम्पूर्ण जानकारी अच्छी तरह कर लें

Certified True  
Registrar  
Jagannath University, Jaipur

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Hema  
21.10.2021

egistar/  
HOD Edu.



कार्यालय समन्वयक PTET-2021  
राजकीय डूंगर महाविद्यालय, जयपुर रोड, बीकानेर (राज.)  
दूरभाष- 0151-2528035 Email : gpsptet2021@gmail.com

- तदुपरान्त ही काउन्सिलिंग हेतु अधिक से अधिक कॉलेजों का चयन कर ही लॉक करना उचित रहेगा। All Rajasthan का चयन अति सावधानी से करें। कॉलेज घोंझरा लॉक करने में जल्दबाजी न करें।
- अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटित नहीं होने पर 200/- फाटकर 4800/- रिफण्ड हो जायेंगे। किन्तु महाविद्यालय आवंटित होने के उपरान्त ऑनलाईन रिपोर्टिंग नहीं करने व शेष शुल्क जमा नहीं करवाने पर अभ्यर्थी के 600/- रुपये फाटकर 4400/- रिफण्ड हो जायेंगे। रिफण्ड अभ्यर्थी के स्वयं के बैंक खाते में ही होगा। अतः आवेदन पत्र में नाम, खाता संख्या इत्यादि पूर्ण सावधानी से जांच लें।
  - काउन्सिलिंग के उपरान्त अभ्यर्थी महाविद्यालय आवंटन की सूचना उनके पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर प्राप्त होगी। तत्पश्चात् अभ्यर्थी ऑनलाईन (Student Login) द्वारा सही वांछनीय दरतावेज अपलोड करेंगे। उसके पश्चात् शुल्क की शेष राशि रुपये 22000/- ऑन लाईन या ई-गिन्न या बैंक चालान के माध्यम से जमा करवायेंगे। शुल्क जमा होने के पश्चात् संबंधित महाविद्यालय द्वारा वेरिफाई (दस्तावेज सत्यापन) करने के बाद अभ्यर्थी का प्रवेश Confirm होगा तथा अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटन की सूचना प्राप्त हो जाएगी। आवंटन की सूचना पत्र को डाउनलोड कर उसका प्रिन्ट निकालकर सुरक्षित रख लें।
  - अभ्यर्थी द्वारा चयन किए गये महाविद्यालय/जिले में प्रवेश, 22000/- फीस जमा होने, Online Reporting होने और महाविद्यालय द्वारा Verification होने के उपरान्त ही Upword Movement कर सकता है। Upword के उपरान्त नया महाविद्यालय आवंटित नहीं होने की स्थिति में पूर्व में आवंटित जिस पर अभ्यर्थी ने ऑनलाईन रिपोर्टिंग की थी, वही महाविद्यालय आवंटित रहेगा और किसी भी स्थिति में फीस रिफण्ड नहीं होगी। Upword Movement होने पर नये आवंटित महाविद्यालय में Online Reporting करनी होगी। दोबारा फीस, Documents अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है।
  - अभ्यर्थी का महाविद्यालय आवंटित होने और 5000+22000=27000/- शुल्क जमा करवाने, ऑनलाईन रिपोर्टिंग व महाविद्यालय द्वारा Verification हो जाने के पश्चात् प्रवेश होने के बाद किसी भी प्रकार का शुल्क रिफण्ड नहीं होगा। अपवर्ड मूवमेंट में अपवर्ड नहीं होने पर पूर्व में आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश माना जायेगा और शुल्क रिफण्ड नहीं होगा।
  - महाविद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन है और समस्त प्रक्रिया अभ्यर्थी द्वारा चुने गये महाविद्यालय, उपलब्ध सीटें, संकाय, विषय, अभ्यर्थी की कटेगरी, सब कटेगरी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार ही होती है। एक बार काउन्सिलिंग प्रारम्भ होने के बाद आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं है यथा कटेगरी, सब कटेगरी इत्यादि।
  - सभी अभ्यर्थी काउन्सिलिंग प्रक्रिया से पहले जांच लें कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दर्शाए गये सभी तथ्य सही है और उनके पास अर्हता, कटेगरी (GEN व EWS के लिए 50% व SC, ST, OBC, SBC, MBC, PH, Widow/Divorce के लिए 45%) से सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेज पूर्ण एवं सही है। इसमें किसी प्रकार की गिनता होने पर प्रवेश निरस्त माना जायेगा और शुल्क वापसी नहीं होगी और इसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित अभ्यर्थी की होगी।
  - बी.एड पाठ्यक्रम में प्रवेश समय-समय पर राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, NCTE अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आदेशा लागू होंगे।
- दूरभाष नम्बर : 0151-2528035, 9785122483, 8432756380

(डॉ.जी.पी.सिंह)  
समन्वयक, पीटीईटी-2021  
राज.डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर

Certified True Copy  
Registrar  
Jagan Nath University, Jaipur